अध्याय 3

# निर्यातकों को जारी की गई लघु अवधि पालिसियाँ

## 3.1 लघु अवधि पालिसियाँ

निर्यातकों को माल निर्यात करने के लिए अर्थात अधिकतम 180 दिनों के लिए क्रेडिट देने वाली पालिसियाँ लघु अवधि पालिसियाँ कहलाती हैं। ये पॉलिसियाँ भुगतान तथा राजनीतिक जोखिमों के प्रति किए गए निर्यात संव्यवहारों को कवर करती हैं। भुगतान जोखिम जिन्हें वाणिज्यिक जोखिम भी कहते हैं, क्रेता के दिवालिया होने, भुगतान की देय तिथि के चार महीनों के बाद तक क्रेता द्वारा भुगतान करने की विफलता (क्रेता का दोष), पहले ही निर्यात किए जा चुके माल को स्वीकार करने के लिए क्रेता की विफलता या मनाही (ठेके का तिरस्कार) इत्यादि को कवर करती हैं जबकि राजनीतिक जोखिमों में क्रेता के देश द्वारा भुगतान स्थानातरण पर रोक लगाना, क्रेता के देश और भारत के बीच युद्ध हो जाना, गृह युद्ध हो जाना, विरोध, क्रान्ति, विद्रोह अथवा क्रेता के देश में अन्य कलह, आयात के नए प्रतिबन्ध, वैध आयात लाइसैंस का रद्द हो जाना शामिल होते हैं। जारी की गई पॉलिसियाँ राजनीतिक जोखिमों के निर्यातों का 100 *प्रतिशत* तथा वाणिज्यिक जोखिमों का 80 से 95 *प्रतिशत* तक कवर करती हैं।

## 3.2 निर्यातकों को जारी लघु अवधि पालिसियों का निष्पादन

कम्पनी ने निर्यातकों को 13 प्रकार की अल्पकालिक पालिसियाँ जारी की **(अनुबंध-I)** जिन्हें मोटे तौर पर घोषणा अथवा जोखिम के आधार पर बॉटा जा सकता है। घोषणा आधारित पालिसियों के अन्तर्गत, निर्यातकों को मासिक/तिमाही के आधार पर पिछले महीने/तिमाही के दौरान सभी संप्रेषणों की सूचना देनी होती थीं, जोखिम आधारित पालिसियों में लदानों की घोषणा सम्बन्धी खण्ड को हटा दिया गया था, परन्तु निर्यातकों से उन क्रेताओं को कुछ भी न भेजने की आशा की गई थी जिन्हें कम्पनी ने " दोषकर्ताओं " की सूची में डाला हुआ था।

2010-11 को समाप्त पिछले पांच वर्षो के दौरान जारी की गई पालिसियों का सकल निष्पादन नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | कवर किए गए कारोबार का मूल्य | सकल प्रीमियम | प्रदत्त दावे | की गई वसूलियां | शुद्ध दावे (प्रदत्त दावे घटा वसूलियाँ) | आधिक्य (सकल प्रीमियम घटा शुद्ध दावे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2006-07** | 50421 | 190.91 | 120.10 | 4.34 | 115.76 | 75.15 |
| **2007-08** | 52767 | 205.32 | 133.88 | 8.29 | 125.59 | 79.73 |
| **2008-09** | 68866 | 246.59 | 216.01 | 8.92 | 207.09 | 39.50 |
| **2009-10** | 85643 | 288.09 | 269.98 | 15.06 | 254.92 | 33.17 |
| **2010-11** | 92884 | 332.51 | 160.47 | 8.82 | 151.65 | 180.86 |

उपरोक्त तालिका की समीक्षा से संकेत मिला कि 2006-07 की तुलना में 2010-11 में सकल प्रीमियम 74 *प्रतिशत* बढ़ा, जोकि कवर किए कारोबार के अनुसार रहा। 2008-09 तथा 2009-10 में प्रदत्त दावों में अधिक वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप 2006-07 की तुलना में अधिशेष लगभग 50 *प्रतिशत* घट गया। वर्ष 2010-11 में प्रीमियम में वृद्धि होने के साथ साथ दावों में बहुत कमी हुई जिसके फलस्वरूप पर्याप्त आधिक्य हुआ।

## 3.3 क्रेताओं की सीमा निर्धारण की प्रणाली

घोषणा आधारित पालिसियों के अन्तर्गत, निर्यातकों को क्रेडिट की वह सीमा (सीएल) प्राप्त करनी होती थी जहां तक कम्पनी को वाणिज्यिक जोखिमों के कारण हानि होने पर क्षतिपूर्ति करनी पड़े। इसीलिए निर्यातक कम्पनी के पास क्रेताओं के विवरण ले कर जाते थे तथा प्रक्रिया शुल्क एवं आवेदन जमा करवा कर सीएल मांगते थे। क्रेडिट सीमा आवेदन पत्र (सीएलए) की प्राप्ति पर कम्पनी विभिन्न वित्तीय तथा गैर वित्तीय घटकों पर विचार करके भविष्य में किसी तिथि को उनकी क्षमता तथा वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की इच्छा का आकलन करती थी। ऐसे आकंलन के आधार पर, कम्पनी "सकल सीमा "(ओएल) नामक सीमा निर्धारित करती थी जिस सीमा तक कम्पनी क्रेता पर जोखिम लेना चाहती थी। क्रेता के लिए निर्धारित यह ओएल व्यक्तिगत निर्यातकों के लिए क्रेडिट सीमा (सीएल) के आबंटन के रूप में उपलब्ध रहती थी। इस प्रकार सीएल वह सीमा थी जहाँ तक कम्पनी प्रत्येक निर्यातक को वाणिज्यिक जोखिमों के कारण होने वाली हानि के लिए किए गए दावे पर विचार करती।

इस बारे में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियाँ पाईः

पहले 2009-10 के निष्पादन प्रतिवेदन में, लदान व्यापक जोखिम (एससीआर) पॉलिसियों के अन्तर्गत क्रेडिट सूचना एजेन्सियों पर विपरीत टिप्पणियों के बावजूद आयातों पर ओएल के अनुमोदन/वृद्धि/स्थगित न करने कारण ₹ 16.13 करोड के दावों को परिहार्य भुगतान सूचित किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह सिफारिश की थी कि कम्पनी को किसी विशेष क्रेता के लिए कोई ओएल प्रस्तावित करते हुए विभिन्न प्रचालकों (क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी की रिपोर्ट, क्रेता का इतिहास, क्रेता के साथ कम्पनी का ट्रैक रिकार्ड इत्यादि) हेतु पूर्व निर्धारित महत्व देने की विधि पर विचार कर उसे लागू करना चाहिए। इससे क्रेता के लिए हामी भरने वाले विभाग (बीयूडी) को ओएल का अनुमोदन/वृद्धि करते समय प्रबन्धन को क्रेता का उद्देश्यात्मक आंकलन प्रस्तुत करने के लिए पारदर्शी तथा समुचित निर्णय लेने में सुविधा होने की आशा थी। एटीएन में (जनवरी 2011), मंत्रालय ने उत्तर दिया कि कम्पनी ने लेखापरीक्षा की सिफारिश को लागू कर दिया था। फिर भी यह पाया गया था कि सीएल्ज के लिए शुरू किए गए " उद्देश्य की समीक्षा की टिप्पणी " पूर्व निर्धारित महत्व की विधि पर निर्धारित नहीं थी। इसीलिए कम्पनी द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में की गई लेखापरीक्षा सिफारिश को लागू किया जाना बाकी था।

इस लेखापरीक्षा के दौरान, प्रदत्त 155 दावों (₹ 301.18 करोड़) की जांच की गई थी, जिसमें 98 क्रेता शामिल थे तथा 48 क्रेताओं की ओएल के निर्धारण के बारे में कमी देखीं गईं थी जैसा कि आगे वर्णन किया गया है:-

31 क्रेताओं के सम्बन्ध में ( **अनुबंध-I** ) कम्पनी ने क्रेडिट सूचना एजेन्सियों (सीआईएज) से अपर्याप्त सूचना मिलने अथवा अद्यतित वित्तीय आकड़ें न होने पर भी ओएल का निर्धारण किया। इस मामले में ₹ 141.27 करोड़ के दावे जारी हुए। ₹ 20 करोड़ से अधिक की ओएल वाले चार क्रेताओं के मामलों की झलक नीचे दर्शाई गई हैं :

**(₹ करोड़ में)**

| क्रमांक | क्रेता का नाम/देश | सीआईए की रिपोर्ट की तिथि | वित्तीय सूचना की स्थिति | ओएल संख्या स्वीकृत करने की तिथि | संस्वीकृत ओएल | प्रदत्त दावे | वर्ष में अदा किए गए दावे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ट्रेड एएम यूएसए | 14.07.2005 | 1998, 1999, 2000 | 27.07.2006 | 65.00 | 58.33 | 2008-09 |
| 2 | बीके हांगकांग | 17.10.2006 | कोई वित्तीय सूचना उपलब्ध नहीं | 19.10.2006 | 26.50 | 23.23 | 2008-09 |
| 3 | एन्डीन इन्टरनैशनल यूएसए | 11.11.2006 | कोई वित्तीय सूचना उपलब्ध नहीं | 25.06.2007 | 23.00 | 14.13 | 2009-10 2010-11 |
| 4 | 4004 इन्कोर्पोरेटेड यूएसए | 06.03.2008 | कोई वित्तीय सूचना उपलब्ध नहीं | 31.03.2008 | 65.00 | 17.62 | 2008-09 |
| कुल | | | | | | 113.31 | |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कम्पनी ने ट्रेड एएम, यूएसए को जुलाई 2006 में ही ओएल संस्वीकृत कर दी थी हालांकि जुलाई 2005 की सीआईए रिपोर्ट में वित्तीय सूचना वर्ष 2000 व उससे पुरानी थी। इसके अतिरिक्त अन्य सभी तीनों क्रेताओं के बारे में हालांकि कोई वित्तीय सूचना उपलब्ध नहीं थी कम्पनी ने ओएल संस्वीकृत कर दी। इन चार क्रेताओं के निपटाए गए दावे ही ₹ 113.31 करोड़ के बनें। साथ ही साथ, कम्पनी ने अन्य 27 क्रेताओं के बारे में ₹ 27.96 करोड़ के दावों का भुगतान किया जिनके लिए भी कम्पनी ने अपर्याप्त वित्तीय सूचना के आधार पर ओएल निर्धारित की थी।

- 17 अन्य मामलों में, कम्पनी ने सीआईए रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों/सिफारिशों जैसे किसी क्रेडिट की सिफारिश नहीं की गई, टर्न ओवर में कमी तथा हानि में वृद्धि, अनिर्धारित क्रेडिट मूल्यांकन, हानि उठाने, मामले विवादास्पद हो सकते थे, एक्सपोजर स्थगित करें, ऋणात्मक निवल धन, मुकदमेंबाजी के मामले, वित्तीय स्थिति असन्तुलित आदि **(अनुबंध-III)** के बावजूद ओएल की संस्वीकृत जारी रखी। इन मामलों में निपटाए गए दावे ₹ 17.13 करोड़ के थे।

इस प्रकार ओएल के निर्धारण में कमी ने क्रेडिट जोखिम बढ़ा दी तथा ₹ 158.40 करोड़ (₹ 141.27 करोड़ जमा ₹ 17.13 करोड़) तक के अधिक दावे हुए।

*कम्पनी ने उत्तर दिया (मार्च 2012) कि एजेन्सी के पास आसानी से उपलब्ध वित्तीय सूचना पर विचार किया गया था तथा ओएल के निर्धारण के लिए पॉलिसी धारकों के अनुभव को ध्यान में रखा गया था। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि रिपोर्ट में कुछ प्रतिकूल लक्षण होने के बावजूद क्रेता पुराने भुगतान अभिलेख के आधार पर सदा से ही अच्छे जोखिम बने रहे।*

*मंत्रालय ने अपने उत्तर में यह भी कहा (जून 2012) कि कई देशों में कम्पनियाँ वित्तीय विवरणियां छापने के लिए बाध्य नहीं हैं तथा क्रेता भी क्रेडिट सूचना एजेन्सियों को वित्तीय विवरणियाँ देने के अनिच्छुक थे। इस प्रकार, ओएल्ज का निर्धारण/ बढाव कम्पनी के अनुभव पर आधारित थे। यह कहा गया कि कम्पनी क्रेताओं को दर्जा देने तथा ओएल के निर्धारण/बढाव को पूर्व निर्धारित महत्व के आधार पर प्रणाली को विकसित कर रही थी तथा प्रणाली के सितम्बर 2012 तक काम शुरू होने की आशा थी।*

कम्पनी/मंत्रालय के उत्तर की समीक्षा इस तथ्य के आलोक में की जानी चाहिए कि क्रेताओं की क्रेडिट सीमाओं को पर्याप्त वित्तीय विवरणों के आधार पर किए की जाने किए आवश्यकता थी तथा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में किसी प्रकार की ढील का बढ़े दावों के साथ कम्पनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था।

## 3.4 एमएसटीसी लिमिटेड को जारी कस्टमाइजड पालिसी में दायित्व लेने सम्बन्धित कमियां

एमएसटीसी लिमिटेड (एमएसटीसी), भारत सरकार का उपक्रम, स्वर्णाभूषणों के निर्यातकों के लिए कैनलाइजिंग एजेन्सी के रूप में काम कर रही थी। कम्पनी ने 29 अगस्त 2007 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि को कवर करने वाली कस्टमाइजड एक्सपोर्ट टर्नओवर पालिसी जारी की। अपेक्षित टर्न ओवर ₹ 1000 करोड़ का था तथा ₹ 300 करोड़ की अधिकतम देयता सहित न्यूनतम प्रीमियम 1.50 करोड़ निर्धारित किया गया था। पालिसी के दौरान, एसएसटीसी ने कम्पनी की अधिकतम सीमा को ₹ 300 करोड़ से ₹ 600 करोड़ तक बढ़ाने के लिए आवेदन किया तथा इसे मान लिया गया (अप्रैल 2008)। पालिसी का 1 सितम्बर 2008 से 31 अगस्त 2009 तक की अवधि के लिए ` 1200 करोड़ की अपेक्षित टर्नओवर तथा ₹ 2.40 करोड़ के न्यूनतम प्रीमियम सहित नवीकरण किया गया। हानि का कवरेज 90 *प्रतिशत* तक का निर्धारित किया गया तथा व्यक्तिगत क्रेताओं के लिए सीएल्ज अनुमोदित कर दिए गए।

एमएसटीसी ने उष्मा जवैलरी तथा पैकिंग एक्सपोर्टस प्रा.लि. मुम्बई, स्पेस मर्केन्टाइल कम्पनी प्रा.लि. मुम्बई तथा बोनिटों इम्पैक्स प्रा.लि. मुम्बई नामक इसके तीन सहयोगियों द्वारा किए गए लदानों मे क्रेता दोषों के कारण ₹ 452.81 करोड़ के कुल मूल्य के 37 दावे प्रस्तुत किए (मार्च 2009 से नवम्बर 2009)। कम्पनी ने भारत में आपूर्तिकारों की विफलता जारी पालिसी में कवर नहीं थी, पालिसी की शर्तों मे एमएसटीसी की विफलता इत्यादि कारण देते हुए दावों को खारिज कर दिया (मई 2010)। एमएसटीसी ने दावों के तिरस्कार के विरूद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग नई दिल्ली में मामला दर्ज करा दिया (अक्तूबर 2010)।

इस विषय में निम्नलिखित कमियां देखी गईं-

- पालिसी जारी करते समय (29 अगस्त 2007), कम्पनी ने सुनिश्चित नहीं किया कि एमएसटीसी और उसके सहयोगियों के बीच सम्बन्ध स्थापित करते समय एमएसटीसी का कोई बीमायोग्य हित था हालाँकि उसे ज्ञात था (जुलाई 2007) कि आधिप्राप्ति तथा लदान सहयोगियों द्वारा किया जाएगा तथा एमएसटीसी मात्र एक कैनालाइजिंग एजेन्सी थी। वास्तव में कम्पनी द्वारा पालिसी जारी करने से पहले ही एमएसटीसी ने अपने सहयोगियों के साथ करार ज्ञापन (एमओए) कर लिया था (16 अगस्त 2007)।

- यह जानते हुए (नवम्बर 2008) कि एमएसटीसी को एमओए के दृष्टिगत बीमा योग्य रूचि नहीं थी और एमओए के संशोधन (अगस्त 2007) जिसमें 'सहायक' लदान की गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य और दस्तावेज के लिए उत्तरदायी थे और क्रेता से देय भुगतान के लिए

उत्तरदायी थे, कम्पनी ने एमएसटीसी को जारी विशिष्ट उपभेक्ता पालिसी को रद्द नहीं किया।

बीमे में उपरोक्त चूक के दृष्टिगत, कम्पनी पर ₹ 452.81 करोड़ का दावा और बाद में इन दावों की अस्वीकृति की कारण मुकद्दमा थोप दिया गया। उपरोक्त दावों में छः लदानों के संबंध में ₹ 5.57 करोड़ की राशि सम्मिलित थी जो कि नवम्बर 2008 और दिसम्बर 2008 के दौरान प्रभावित हुई थी अर्थात् जब कम्पनी को एमओए के बारे में पता चला।

*कम्पनी ने उत्तर दिया (मार्च 2012) कि उन्होंने नवम्बर 2008 में एमओए की प्रति प्राप्त की थी और कि यदि एमएसटीसी ने एमओए के बारे में पहले बता दिया होता तो उन्होंने पालिसी जारी नहीं की होती। नवम्बर 2008 तक, एमएसटीसी ने अपने विदेशी क्रेताओं पर आरओडी फाइल करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार, नवम्बर 2008 में भले ही ईसीजीसी ने पालिसी रद्द कर दी होती, इससे पालिसी के अन्तर्गत उसके उत्तरदायित्व यदि कोई हो तो, में बदलाव नहीं होता।*

*एमओए के संबंध में कम्पनी के उत्तर की पुष्टि करते समय, मंत्रालय ने आगे बताया (जून 2012) कि एमएसटीसी ने प्रस्ताव फार्म में अपने आप को निर्यातक घोषित किया था और विशिष्ट क्रेताओं की सूची पर भुगतान न करने के बीमे की मांग की। तदनुसार, विदेशी क्रेता के जोखिम के मूल्यांकन के बाद पालिसी जारी की गई थी। इसने आगे बताया कि दावे के समय, कम्पनी ने पाया कि निर्यातक महत्वपूर्ण जानकारी देने में विफल रहा (एमओए के अस्तित्व के संबंध में), जिससे कम्पनी का दायित्व प्रभावित हुआ और इस प्रकार दावा सीधे तौर पर अस्वीकृत कर दिया गया था।*

कम्पनी और मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी ने अगस्त 2007 में पालिसी जारी करने से पहले एमएसटीसी और सहयोगियों के बीच के संबंध से संबंधित पूरा विवरण प्राप्त करने में समुचित परिश्रम नहीं किया था, जबकि उसे लेन देन के तौर तरीकों के बारे में जानकारी थी। इसके अलावा यह पता होने के बाद भी कि एमएसटीसी ने सहयोगियों के साथ एमओए किया है, कम्पनी ने पालिसी को तत्काल रद्द नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.57 करोड़ के अतिरिक्त दावे हुए।

## 3.5 निर्यातकों के दावों का निपटान

प्रस्ताव फार्म के साथ पठित निर्यातकों को जारी एक ऋण बीमा पालिसी बीमाकृत और एक बीमाकर्ता के बीच कानूनी समझौता था। जारी पालिसी के खण्डों में बीमाकृत के दायित्वों के विस्तृत विवरण थे, जिनका पालन कठोरता से किया जाना था और अननुपालन पर बीमाकर्ता को दावों को अस्वीकृत करने का हक था। कम्पनी द्वारा उत्तरदायित्व की स्वीकृति से संबंधित पालिसी में एक महत्वपूर्ण खण्ड

था कि उसके प्रत्येक नियम और शर्त या प्रस्ताव या घोषणा का अनुपालन और निष्पादन कम्पनी की किसी देयता की एक पूर्व शर्त थी और बीमाकृत द्वारा उसको लागू करना था।

तथापि, कम्पनी ने एक आन्तरिक परिपत्र जारी किया (सितम्बर 2007) जिसके द्वारा उसने चूक अथवा आयोग के कृत्यों के कारण पालिसी की मूलभूत शर्तों के उल्लंघन को जैसे क्रेता द्वारा भुगतान की देय तिथि के बाद दावे के अन्तर्गत लदान के संबंध में प्रीमियम का भुगतान या करार में चूक/दिवालिया/अस्वीकरण होने के बाद, दावे के अन्तर्गत लदानों पर प्रीमियम की घोषणा या भुगतान न करना, लदान की तिथि पर वैध ऋण सीमा का अभाव, निर्धारित समय सीमा के अन्दर दावे लेने में विफलता इत्यादि को श्रेणी 'क' चूक के रूप में माना और कम्पनी के सक्षम प्राधिकारी को इन चूकों की दावा देय राशि को न्यूनतम 10 *प्रतिशत* कम करके माफ करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त चूकें जैसे भुगतान के बकाया होने से पहले प्रीमियम देने में विलम्ब, दावे के अन्तर्गत सबसे पहले के लदान से पूर्ववर्ती लदान की घोषणा में चूक इत्यादि श्रेणी 'ख' में वर्गीकृत किए गए थे और सक्षम प्राधिकारी को इन चूकों की 0 से 50 *प्रतिशत* की दावा राशि कम करके माफ करना अनुमत है। इसमें श्रेणी 'ग' में कुछ अन्य चूकें भी सूचीबद्ध है जो दावा राशि कम करके कम किए बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ की जा सकती है। उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध से अन्य विचलनों को चूक नहीं माना जाना था।

2008-09 से 2010-11 तक तीन वर्षों के दौरान, कम्पनी ने ₹ 646.46 करोड़ की राशि के 2163 दावों का निपटान किया जिनमें से लेखापरीक्षा ने ₹ 301.18 करोड़ (47 *प्रतिशत*) की राशि के 155 दावों की जांच की। हमने पाया कि 155 दावों में से 88 में कम्पनी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार चूकों/अन्तरों की माफी द्वारा ₹ 145.19 करोड़ का भुगतान किया:

| माफ की गई चूक का प्रकार | माफ किए गए दावों की संख्या | दत्त दावे (₹करोड़ में) | कटौती की गई राशि (₹करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| श्रेणी क | 30 | 36.08 | 10.37 |
| श्रेणी ख | 28 | 43.26 | 2.55 |
| श्रेणी ग/ लघु विचलन | 30 | 65.85 | 0.00 |
| **कुल** | **88** | **145.19** | **12.92** |

दावे के समय विभिन्न उल्लंघनों की माफी पालिसी की शर्तों के अभिप्राय के विरूद्ध थी। इसके अतिरिक्त, श्रेणी 'क' चूकों की माफी, जिसमें गंभीर उल्लंघन सम्मिलित थे जैसे जमा प्रीमियम खाते में पर्याप्त शेष की अनुपलब्धता, भुगतान के लिए अतिशोध्य होने तक लदान की घोषणा न करना, समयबाधित दावे, लदान की तिथि तक वैद्य ऋण सीमा उपलब्ध न होना इत्यादि, सही नहीं थे और इसके परिणामस्वरूप ₹ 36.08 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

*कम्पनी ने उत्तर दिया (मार्च 2012) कि किसी भी चूक की माफी नियमित रूप में नहीं की गई थी । यह भी बताया गया कि यह एक विकासात्मक भूमिका निभा रहा था और उसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना था और भारतीय निर्यातकों के सम्मुख आ रहे जोखिमों को कम करना था, इस प्रक्रिया में निगम को दावा स्वीकार करते समय परिणामवादी और व्यावहारिक होना आवश्यक था।*

*मंत्रालय ने, कम्पनी के उत्तर की पुष्टि करते हुए आगे बताया (जून 2012) कि पालिसी में कुछ शर्तों का उल्लेख दावों के निपटान की पूर्व शर्त के बजाय प्रावधानों को अधिक सक्षम या इससे अधिक योजनाओं के व्यवस्थित प्रशासन के लिए कुछ प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए बाधाओं के रूप में किया गया था। इसमें यह भी बताया गया था कि चूकों की माफी प्रक्रिया के अनुसरण से अधिक संबंधित और किसी नीतिगत मामले से संबंधित नहीं थी।*

उत्तर इस तथ्य के दृष्टिगत देखने की आवश्यकता है कि नमूना जाँच किए 57 *प्रतिशत* मामलों में चूकों की माफी सम्मिलित थी और इसलिए इसे असाधारण आधार पर नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त चूंकि पालिसी एक कानूनी दस्तावेज था और सभी खण्डों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए था यह तर्क कि पालिसियों में खण्ड अनुपालन के लिए केवल बाधा थे सही नहीं था। पालिसी शर्तों का अनुपालन जैसे लदान सूचना का समय पर प्रस्तुतीकरण, देय रिपोर्टों को फाइल करना, प्रीमियम का भुगतान इत्यादि, बीमा कवर का आधार बनाते हैं, और केवल प्रक्रियागत औपचारिकताएं नहीं थी।

## 3.6 वसूली के अपर्याप्त प्रयास

बीमे का एक मूल सिद्धांत 'प्रतिस्थापन' है। प्रतिस्थापन के अन्तर्गत, दावे के निपटान के बाद, बीमा कम्पनी बीमाकृत के स्थान पर अपनेआप को रखकर देखती है और वसूली अधिकार प्राप्त करती है। हमने देखा कि कम्पनी 'प्रतिस्थापन' के सिद्धान्त का अनुसरण नहीं कर रही थी और क्रेता से वसूली के लिए पूरी तरह से निर्यातक पर निर्भर थी।

वसूली योग्य राशि 2008-09 में ₹ 946.27 करोड़ से 2010-11 में ₹ 1341.76 करोड़ हो गई। कम्पनी द्वारा दत्त वर्ष-वार दावे और वसूली निम्न प्रकार थीः

| वित्तीय वर्ष | दत्त दावे | वसूल की गई राशि | वसूली की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| | ₹ करोड़ में | | |
| 2008-09 | 216.01 | 8.92 | 4.13 |
| 2009-10 | 269.98 | 15.06 | 5.58 |
| 2010-11 | 160.47 | 8.82 | 5.49 |

कम्पनी की वसूली दर 2008 से 2011 के दौरान केवल 4.13 *प्रतिशत* से 5.58 *प्रतिशत* के बीच थी।

*कम्पनी ने उत्तर में बताया (मार्च 2012) कि अपनी वसूलियों में सुधार करने के लिए उसने निर्यातक को दावों की प्रस्तुती से पहले क्रेता से देय की वसूली के लिए ऋण संग्रहण एजेंसियों (डीसीए) के साथ करार करने पर जोर देने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। उसने आगे बताया कि डीसीए भी कम्पनी को प्रगति के बारे में सीधे तौर पर सूचित रखते थे। उपरोक्त कदमों के अलावा, कम्पनी ने बताया कि वह क्रेताओं से वसूलियों में सुधार के लिए अन्य विकल्पों की भी जांच कर रही है।*

*मंत्रालय ने कम्पनी के उत्तर की पुष्टि करते हुए बताया (जून 2012) कि कम्पनी फेमा[27] के प्रावधानों और अन्य कानूनी मुद्दों पर विचार करते हुए प्रतिस्थापन अधिकारों के पहलू की जाँच करेगी।*

## 3.7 नए उत्पादों का समावेश - लघु और मध्यम उद्यम नीति

आरबीआई द्वारा जारी रूग्ण एसएमई (अप्रैल 2008) के पुनर्गठन पर कार्यकारी ग्रुप की रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार लघु क्षेत्र औद्योगिक यूनिटों ने 2004-05 और 2005-06 में क्रमशः ₹124417 करोड़ और ₹150242 करोड़ का निर्यात किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 39 *प्रतिशत* और राष्ट्रीय निर्यात में 33 *प्रतिशत* से अधिक का योगदान दे रहे थे। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा और उच्च प्राथमिकता देने के लिए कम्पनी ने एमएसएमई के लिए प्रक्रियागत औपचारिकताओं को सरल बनाने के इरादे से एक नई जोखिम आधारित पालिसी प्रारंभ की (अप्रैल 2008)। पालिसी के अन्तर्गत अधिकतम देयता ₹ 10 लाख रखी गई थी और पालिसी के अन्तर्गत एकल हानि सीमा ₹ 3 लाख थी।

इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं का अवलोकन किया गयाः

- उत्पाद की मुख्य विशेषताएं उन निर्यातकों पर केन्द्रित थी जो एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म निर्यातक के रूप में वर्गीकृत थे। तथापि, 2008-09 से 2010-11 तीन वर्षों के दौरान केवल तीन पालिसियां जारी की गई थी।

---

[27] *विदेशी विनिमय प्रबन्धन अधिनियम*

- पालिसी देने से पहले न तो कोई ग्राहक सर्वेक्षण/प्रक्षेपण किया गया और न ही मार्किट से कोई प्रतिपुष्टि ली गई, यद्यपि बीमा पालिसी में ग्राहक की प्रतिपुष्टि पर आधारित उत्पाद की संरचना की आवश्यकता पर बल दिया था।

- उसे प्रसिद्ध करने के लिए मध्यमार्गी सुधारों के लिए पालिसी के निष्पादन के लिए कोई पुनरावलोकन भी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, पालिसी स्पष्ट रूप से असफल रही और इसी कारण कम्पनी ने इस क्षेत्र में सम्भावित व्यापार को उपयोग करने का मौका खो दिया।

*कम्पनी ने स्वीकार किया (मार्च 2012) कि पालिसी असफल रही क्योंकि छोटे निर्यातकों के पास या तो एससीआर या लघु निर्यातक बीमा पालिसियां थीं। इसके अतिरिक्त इसने बताया कि अधिकतम देयता की सीमा और एकल हानि सीमा को क्रमशः ₹ 10 लाख और ₹ 3 लाख करने के कारण निर्यातक इस पालिसी से उत्साहित नहीं थे। अधिकतम सीमा को जानबूझ कर कम रखा गया क्योंकि लक्षित निर्यातकों का वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 लाख से ऊपर जाने की संभावना नहीं की गई थी। अधिकतम सीमा को जानबझकर नहीं बढ़ाया गया क्योंकि इस उत्पाद के अन्तर्गत पालिसी धारकों को किसी प्रकार की वित्तीय जांच के बिना (कम्पनी की नकारात्मक सूची में सम्मिलित नहीं होने पर) अपने आप ही सीमा प्राप्त हो जाती थी। उच्च मूल्य ऋण सीमा के लिए ऐसा विवेचन नहीं दिया जा सकता।*

*मंत्रालय ने (जून 2012) छोटे निर्यातकों को विभिन्न अन्य उत्पादों का बीमा किए जाने और एसएमई के लिए अलग उत्पाद की आवश्यकता नहीं होने से संबंधित कम्पनी के उत्तर की पुष्टि की। तथापि, उसने कहा कि बाजार की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद यदि उत्पाद को जारी रखना लाभकारी माना गया तो कम्पनी आवश्यक संशोधन करेगी।*

## 3.8 गैर टिकाऊउत्पाद - लघु निर्यातको का बीमा

लघु निर्यातक बीमा (एसईसी) उन छोटे निर्यातकों के लिए था जिनका अनुमानित निर्यात कारोबार एक साल में ₹ 50 लाख से अधिक नहीं था। व्यावसायिक जोखिम और राजनैतिक जोखिम द्वारा हुई हानि को क्रमशः 95 *प्रतिशत* और 100 *प्रतिशत* तक कवर किया गया था। पालिसी के अन्तर्गत 12 महीने की अवधि थी। समायोजन योग्य न्यूनतम प्रीमियम ₹ 2000 था।

2006-07 से 2010-11 तक पांच वर्षों के दौरान इस पालिसी के अन्तर्गत प्रीमियम आय, दत्त दावे और वसूलियाँ निम्नानुसार थीः

**(₹ लाख में)**

| | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| **प्रीमियम (1)** | 62.88 | 51.55 | 58.68 | 42.67 | 29.58 |
| **दत्त दावे (2)** | 385.93 | 310.88 | 201.41 | 83.34 | 49.35 |
| **वसूलियाँ (3)** | 2.82 | 2.82 | 8.43 | 33.93 | 0.00 |
| **कुल (1-2+ 3)** | **-320.23** | **-256.51** | **-134.30** | **-6.74** | **-19.77** |

2006-07 से सभी पांच वर्षों में उत्पाद अलाभकारी था किन्तु कम्पनी ने अपने वित्तीय हित के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना निर्यातकों को पालिसी देना जारी रखा।

*कम्पनी ने उत्तर दिया (मार्च 2012) कि इस सरलीकृत रूप में पालिसी की उपलब्धता योजना से अधिशेष सृजन करने से अधिक महत्वपूर्ण थी।*

*तथापि, मंत्रालय ने कहा (जून 2012) कि कम्पनी उत्पाद की विशेषताओं की समीक्षा करेगी।*